

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद सचिवालय
द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना
E-mail: sipbbihar16@gmail.com Website: w.w.w.udyog.bihar.gov.in

रकम रकम—एस0आई0पी0बी01805000149.....
सेवा में,

दिनांक—

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

विषय— मेसर्स मदन जिन्दल, हरियाणा द्वारा रसलपुर टोला, करणविगहा, नालंदा में 10000 मे0 टन प्रतिवर्ष क्षमता का ड्राइवेयर हाउस के स्थापना हेतु प्रथम किस्त ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू0 28,05,743/- (मात्र अठाईस लाख पाँच हजार सात सौ तैतालिस रूपए) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स मदन जिन्दल, नालंदा द्वारा रसलपुर टोला, करणविगहा, नालंदा में 10000 मे0 टन प्रतिवर्ष क्षमता का ड्राइवेयर हाउस के स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद की बैठक दिनांक 21.08.2018 को स्टेज-1 तथा दिनांक 30.11.2018 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (ii) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई खाद्य प्रसरण प्रकल्प के अंतर्गत गैर-प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है। अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद सचिवालय के कार्यालय आदेश झापांक-SIPB1805000149/19, दिनांक 01.02.2019 के द्वारा श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र नालंदा द्वारा ईकाईयों का स्थल निरीक्षण कराया गया। जांच दलों के द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 01.10.2017 से कार्यरत बताया गया है। ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. ईकाई को 02 अक्टूबर, 2017 से 31 दिसम्बर, 2018 तक प्रथम किस्त ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू0 28,05,743/- (मात्र अठाईस लाख पाँच हजार सात सौ तैतालिस रूपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है—

- (i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और राक्षन कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% धक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।
- (ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के मशघाल 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की विक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।
- (iii) अनुदान की राशियां में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।
- (iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक धक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।
- (v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली मू-राजस्व के बकायों के रूप की जाएगी।

4. उक्त राशि का ध्येय बहन "राज्यादेश सं0-2060, दिनांक-11.08.18 एवं आवटनादेश सं0-5/D1-B(Allotment)-16/2018, Order No.-1480 dated-13.06.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2862 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, मींग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-ग्री प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सस्लिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
7. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।
8. इस राशि का भुगतान मदन जिल्दल को उनके पंजाब नेशनल बैंक, गुडगाँव (हरियाणा) से खाता संख्या-0188000108646187, IFS Code-PUNB0018800 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

₹०/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक-

झापांक—एस०आई०पी०बी०1805000149.....

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

₹०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक-

झापांक—एस०आई०पी०बी०1805000149.....

प्रतिलिपि विस्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

₹०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

झापांक—एस०आई०पी०बी०1805000149/291...

दिनांक-05/08/19

प्रतिलिपि— महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / ✓ बी० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / मेसर्स मदन जिल्दल, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।